

समकालीन भारतीय राजनीति में दलित चेतना का ऐतिहासिक विश्लेषण

डा. बालाजी चिरडे

एसोसिएट प्रोफेसर

डा. बाबासाहब आंबेडकर सेंटर फॉर

सिदु कान्हू दलित एवं जनजातीय अध्ययन केंद्र

महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा

दलित शब्द और जाति का इतिहास सभ्यता के प्रारम्भ से प्राप्त होता है। सिन्धु घाटी सभ्यता के काल के स्थलों की खुदाई से प्राप्त घरों के अवशेषों से उनके निर्माण की भिन्नता प्राप्त होती है। कलाकृतियों, मनकों, मुहरों, मृदभाण्डों, आभूषणों आदि से जातीय श्रेष्ठता व सामाजिक स्तर की जानकारी मिलती है जिससे स्पष्ट होता है कि इस काल के लोगों में भी श्रेणी, सामाजिक स्तर व श्रम विभाजन विद्यमान होगा। काणे के अनुसार ऋग्वेद में दासों या दलित दस्युओं के उदाहरण हैं।

¹ जगजीवन राम का मत है— “जब आक्रमणकारी आया और भारत के मूल निवासियों के बीच टकराव हुआ तो उसके परिणामस्वरूप संस्कृतिपरक भेद-भाव अधिक उत्कट हुए ही व्यवसायपरक भेद-भाव भी अधिक बढ़ गए। उसी समय चौथी जाति— शूद्र का प्रादुर्भाव हुआ और हमारा समाज चतुर्वर्ण समाज बन गया।”

वर्तमान समय/आधुनिक काल में ‘दलित’ शब्द का प्रयोग हरिजन के लिए किया गया है 1997 की हंस पत्रिका में प्रकाशित शरण कुमार तिवलि के लेख में वर्णन है— “दलित अर्थात् केवल जरिजन और नवबौद्ध ही नहीं, बल्कि गांव की सीमा से बाहर रखने वाली सभी अछूत जातियाँ, आदिवासी, भूमिहीन खेत मजदूर— श्रमिक, दुःखी जनता, भटकी—बहिष्कृत जाति इन सभी का ‘दलित’ शब्द की व्याख्या में समावेश होता है। ‘दलित’ शब्द की व्याख्या केवल अछूत जातियाँ का उल्लेख करने से नहीं होगी। इसमें आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए लोगों का भी समावेश करना चाहिए।”³

डॉ० भीमराव अम्बेडकर और एम०जी० राजा जैसे व्यक्तियों ने अपने समाज के लिए ‘दलित’ नामकरण का विरोध किया था। 19वीं शताब्दी के दस्तावेजों में दलित शब्द का प्रयोग नहीं मिलता किन्तु बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ के समय इस शब्द का प्रयोग ब्रिटिश शासकों ने अपने हित व सुविधा के लिए किया। वाद में 1919 में साउथ बोरो कमेटी को लिखे अपने वक्तव्य में डॉ० अम्बेडकर ने दलित शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द को राजकीय मान्यता देने का कार्य अंग्रेजों ने 1921 की जनगणना में दलित वर्गों का कॉलम बनाकर कर दिया। डॉ० अम्बेडकर ने ब्रिटिश सरकार ने इस नाम को अपने समाज के लिए प्रयोग न करने की मांग की। उन्होंने नए संविधान में दलित शब्द न प्रयोग करके कोई अन्य नाम रखने की मांग भी की। एम०सी० राजा ने दलित के स्थान पर ‘आदि हिन्दू’ नाम देने का प्रस्ताव रखा। बाद में अनेक विरोधों व विचारों को ध्यान में रखते हुए ‘अनुसूचित जातियों’ जैसे ब्रिटिश नाम को अपनाया। इस नाम का सर्वप्रथम प्रयोग 1933 में बंगाल सरकार के पत्र-व्यवहार में हुआ। डॉ० अम्बेडकर का मत था कि दलित वर्ग का तात्पर्य अस्पृश्य वर्ग से है। प्राचीन काल में सेवक वर्ग को शूद्र कहा गया जिसने आगे चलकर दलित का रूप ले लिया। अतः सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता जातिभेद, सामाजिक बहिष्कार आर्थिक शोषण और जीवन के प्रत्येक कार्य में धर्मसम्मत उत्पीड़न दलितों का पर्याय बन गया। दलित की पीड़ा और अन्तर्द्वन्द्व ही उसकी

¹ काणे, पी०वी०, ‘धर्मशास्त्र का इतिहास’, खण्ड-1, लखनऊ 1973, पृष्ठ 57

² जगजीवन राम, ‘भारत में जातिवाद की चुनौती’, पृष्ठ-10

³ तिवलि, शरण कुमार, ‘दलित, साहित्य—स्वरूप और प्रयोजन हंस (कथा मासिक), जनवरी 1977, पृष्ठ 53

चेतना है। जनवरी 1992 में 'हंस' पत्रिका में प्रकाशित लेख में कहा गया कि "दलितों की परेशानी, गुलामी, पारिवारिक विघटन, दुःख, गरीबी और उपेक्षापूर्ण जीवन ही उसकी चेतना में समाहित है। इसी चेतना का चित्रण करने वाला साहित्य ही दलित साहित्य है अर्थात्, दलित की पीड़ा और आह को साहित्य चेतना के रूप में प्रकट करता है। दलित साहित्य दलित चेतना का पर्यायवाची है।⁴ अतः स्वतन्त्रता, समानता, सम्मान और सुरक्षा की मांग उठाने वाली चेतना ही दलित चेतना है। ये सभी आवश्यकताएं प्रत्येक मनुष्य से सम्बद्ध हैं। यही चेतना क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त्र करती है।

समाज में वर्ण व्यवस्था पर आधारित समस्त सामाजिक क्रिया-कलापों का विरोध, उसके प्रति घृणा तथा उसके विरुद्ध आन्दोलन दलित चेतना की विशेषता है। हंस पत्रिका में उल्लेख किया गया है कि— "दलित साहित्य का जन्म अस्पृश्यता की कोख से हुआ है और यही इसकी विशेषता है।"⁵ हिन्दू-धर्म व्यवस्था में दलितों को स्पर्श न करना ही पर्याप्त नहीं था बल्कि दलितों की छाया, और वाणी को भी अस्पृश्य माना जाता था। सम्पत्ति न रखना गांव से बाहर रहना, सोने के आभूषण न पहनना, मिट्टी के बर्तनों में भोजन ग्रहण करना जैसे आदेश हिन्दू धर्म ग्रन्थों में दलितों के लिए मिलते हैं इन समस्त कारणों ने ही दलितों में विरोध और विद्रोह की भावना को जन्म दिया है। प्रारम्भ में दलित चेतना में निहित पीड़ा मुखरित नहीं हो पायी थी किन्तु नेतृत्व प्राप्त होने पर इसके आक्रोश ने आक्रामक रूप धारण कर लिया था। दलित वर्ग की धारणा है कि धर्म दलित वर्ग को अपमानित करने का प्रमुख माध्यम है। इसीलिए इस वर्ग में धर्म के प्रति विद्रोह की भावना देखने को मिलती है। दलित चेतना में धर्म के स्थान पर मानवता को बल दिया गया। जिसके विकास के लिए समाज सुधार के अनेक कार्य किये गये। इस विरोध आक्रोश व सुधारों के चलते वर्तमान समय में दलितों की स्थिति शासन सत्ता में उल्लेखनीय हो गयी है। 1995 में राष्ट्रीय सहारा में इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा— "देश के राजनीतिक परिदृश्य में दलित शक्ति अब हाशिए पर नहीं हैं। वह विभिन्न राजनीतिक दलों की 'कृपा पात्र' या पिछलग्गू भूमिका से तेजी से बाहर निकल रही है। अब यह सत्ता में भागीदारी करने की मनः स्थिति में भी है और कार्य स्थिति में भी।"⁶

दलितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे प्रथम व्यक्ति महात्मा गाँधी थे जिन्होंने सवर्णों व दलितों में एकता लाने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानन्द के विचारों से प्रभावित होकर गाँधी जी ने दलितों/अस्पृश्यों के उद्धार के लिए देश व्यापी आन्दोलन चलाए। गाँधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे उन्होंने इस व्यवस्था के अनेक लाभ बताए किन्तु 3 फरवरी 1925 को गांधी जी ने कहा— "जाति प्रथा का समर्थन मैंने इस आधार किया था कि वह संयम सिखाती है परन्तु आजकल जाति प्रथा का अर्थ संयम नहीं वरन् सीमाबद्ध करना है। जातियाँ किस रूप में आज हैं उस रूप में उनकी तारीफ नहीं की जा सकती। जातियाँ आजकल शास्त्रीय सिद्धान्तों के विपरीत हैं। यह उत्थान की स्थिति नहीं वरन् पतन होने की स्थिति है।"⁷

भारत आने पर 1915 में 'सत्याग्रह आश्रम' की स्थापना पर गांधी जी ने घोषणा की थी कि आश्रम नियमों को पालन करने वाले किसी भी अछूत परिवार को आश्रम परिसर में रहने की अनुमति होगी। फलस्वरूप अनेक विरोधों के बाद टूढ़ाभाई का अछूत परिवार आश्रम में रहने लगा। दलितों को गांधी जी ने 'हरिजन' नाम दिया। 1932 में 'हरिजन सेवक संघ' की स्थापना की। अंग्रेजी में 'हरिजन' और हिन्दी में 'हरिजन सेवक' साप्ताहिक प्रारम्भ किया। गांधी जी का मुख्य उद्देश्य दलितों में आत्म विश्वास व आत्म-निर्भरता पैदा करना था।

⁴ हंस (कथा मासिक), जनवरी 1992, पृष्ठ 52

⁵ वही, जनवरी 1997, पृष्ठ 52

⁶ राष्ट्रीय सहारा (दैनिक), 'हस्तक्षेप', 19 नवम्बर 1995, पृष्ठ 1

⁷ भटनागर, राजेन्द्र मोहन, 'डॉ० अम्बेडकर : चिन्तन और विचार' पृष्ठ 77

“गांधी ए सबलाइम फेल्योर” में ए0एस0 गिल ने गांधी जी की दूसरी प्रमुख समस्या अस्पृश्यता मिटाना बताया।⁸ इस कार्य में करेल में गांधी जी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

गांधी जी के हरिजनों के उद्धार हेतु किए गए प्रयासों की विशेषता यह थी कि दलित-सर्वण एकता चाहते थे जिस कारण उन्होंने 1935 के ‘गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट’ का विरोध किया। उनका मानना था कि दलितों को मिला पृथक निर्वाचन अधिकार हिन्दू समाज को बांट देगा। इस कारण उन्हें अनेक लोगों का विरोध भी सहना पड़ा।

गांधी जी का यह आन्दोलन भी उनके अन्य आन्दोलन की भांति नियन्त्रित व विस्तृत था। गांधी जी ने जान-बूझकर हरिजन आन्दोलन को सामाजिक सुधार तक सीमित रखा था और किसी भी प्रकार की आर्थिक मांगों से अलग रखा साथ ही उन्होंने समग्र रूप में जाति व्यवस्था की भर्त्सना करने से इन्कार कर दिया। परिणाम स्वरूप अम्बेडकर जैसे कई नेताओं ने उनका कई मुद्दों पर विरोध किया। किन्तु यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि गांधी जी व उनके अनुयायियों द्वारा किए जाने वाले हरिजन कल्याण कार्यों ने इस निम्न व शोषित वर्ग में राष्ट्रवाद का मंत्र फूँका व देश के अधिकांश भागों में स्तन्त्रता से पूर्व व बाद में भी हरिजनों को कांग्रेस से जोड़ा। भारत में दलित आन्दोलनों के इतिहास में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण नाम डॉ० भीमराव अम्बेडकर का है। जातिप्रथा पर उनका अध्ययन कोलम्बिया विश्वविद्यालय न्यूयार्क के शोध छात्र के रूप में 1916 में प्रकाश में आया जब उन्होंने कोलम्बिया विश्वविद्यालय में नृविज्ञान पर आयोजित गोष्ठी में ‘जाति प्रथा संरचना उत्पत्ति और विकास’ पर शोध प्रबन्ध पढ़ा। उनका यह प्रबन्ध रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बम्बई की शोधपत्रिका ‘इंडियन एटीक्वेरी’ के मई 1917 में अंक में प्रकाशित हुआ।

जुलाई 1917 में भारत आने पर उन्हें अछूत जाति का होने के कारण अनेक बार अपमानजनक व्यवहार सहन करना पड़ा। अछूत जाति का होने के कारण उन्हें बड़ौदा में कोई होटल या होस्टल में रहने का स्थान नहीं मिला। चपरासी उनके समक्ष फाइलें भी दूर से फेंककर जाते थे। अन्ततः विवश होकर उन्हें 1917 में बम्बई आना पड़ा। इस प्रकार अम्बेडकर की विद्वता व योग्यता उच्च जाति के लोगों की घृणा व रुढ़िवादिता को परिवर्तित या प्रभावित नहीं कर पायी। इस समय उनका शोध प्रबन्ध भारत में छोटी जोत और उनका हल (स्माल होल्डिंग्स इन इण्डिया एण्ड देयर रेमेडीज) प्रकाशित हुआ।

नवम्बर 1917 में बंबई तथा मार्च 23-24, 1918 को बड़ौदा में दलित जातियों के दो अधिवेशन हुए जिनमें सरकार से अछूतों के हितों की रक्षा करने व विधान सभाओं में दलित जातियों को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने के अधिकार की मांग की गई। किन्तु डॉ० अम्बेडकर ने इन प्रयासों को मृग मरीचिका सदृश माना क्योंकि पूर्व में उनके साथ हुए व्यवहार के दंश अब तक उनके हृदय में थे।

नवम्बर 1918 में बंबई के सिडेनहम कॉलेज के राजनीतिक अर्थतन्त्र के प्रोफेसर के रूप में उनकी ख्याति बढ़ी परन्तु उनके प्रति लोगों को सामाजिक व्यवहार परिवर्तित नहीं हुआ। धनंजय कीर लिखते हैं :- “प्राध्यापकों के लिए जिस बर्तन में पीने का पानी रखा जाता था उसमें डॉ० पानी नहीं पी सकते थे। सर्वर्ण जाति के प्रोफेसरों को एतराज था।”⁹

ज्योतिबा फुले की मृत्यु (1980) के बाद गैर ब्राह्मण आन्दोलन के समर्थक दो भागारें में बंट गए। इनमें से एक पक्ष के नेता 1900 में कोल्हापुर के महाराज शाहू महाराज थे। 1919 में इस पक्ष ने एक गैर ब्राह्मण दल बनाया। इसे बहुजन आन्दोलन की संज्ञा दी। महाराष्ट्र के सतारा जिले में 1919-1921 के मध्य मन्दिर तोड़े, ब्राह्मणों पर हमले किए। 1918 में नागपुर में, 1920 में कोल्हापुर में दलित जातियों के सम्मेलन हुए। इनमें डॉ० अम्बेडकर ने भाग लिया। डॉ०

⁸ गिल, ए0एस0, ‘गांधी : ए सबलाइम फेल्योर’

⁹ कीर, धनजंय, ‘डॉ० अम्बेडकर : लाइफ एण्ड मिशन

अम्बेडकर ने सर नारायण चन्द्रावरकर की सहायता से गठित विट्ठल रामजी शिंदे के 'दलित वर्ग मिशन' (डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन) की आलोचना की। उसका मानना था कि "ऐसे संगठन और व्यक्ति दलित अधिकारों की वकालत करने के पात्र ही नहीं, न उन्हें ऐसा कहने का कोई अधिकार है जो अछूतों द्वारा संचालित नहीं है।"¹⁰ उनका तात्पर्य था कि दलित संगठनों का संचालन केवल अस्पृश्य ही कर सकते हैं।

डॉ० अम्बेडकर ने 1919 में "साउथबोरो समिति" के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए जिसमें उन्होंने बताया कि अछूतों को दया का पात्र समझा जाता है और राजनीतिक योजना में उपेक्षा की जाती है। उन्होंने 'दास' को परिभाषित करते हुए कहा— "अस्पृश्यों को ऐसे सामाजिक ढाँचें में ढाला गया है कि वे अपनी दयनीय दशा पर उफ तक न करें। इससे भी घटिया बात यह है कि वे सपने में भी कभी नहीं सोचते कि वे अपने दशा सुधारें।"¹¹

वर्ष 1920 और 1927 में दलितों व उपेक्षितों की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को उजागर करने के उद्देश्य से 'मूकनायक' और 'बहिष्कृत भारत' नामक पाक्षिक पत्रों को प्रारम्भ किया।

दलितों के लिए संयुक्त चुनाव क्षेत्र व आरक्षण की मांग डॉ० अम्बेडकर ने 13 अगस्त 1928 को साइमन कमीशन के सक्षम उठायी। जिसकी स्वीकृति के रूप में कम्युनल अवार्ड के द्वारा पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् आज भारत जिस ढाँचे पर खड़ा है वह भी डॉ० अम्बेडकर की देन है। अनेक संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा उन्होंने अनुसूचित जातियों, जनजातियों व पिछड़े वर्गों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय दिलाने के प्रयास किए। दलित चेतना के विचार या दर्शन का प्रारम्भ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था के विरुद्ध चलाए जाने वाले आन्दोलनों की ही परिणित जैन या बौद्ध दर्शन के रूप में हुई। आधुनिक युग में हुए दलित आन्दोलन इनकी अगली कड़ी है।

साथ ही यह बात भी उल्लेखनीय है कि दलित आन्दोलनों का प्रारम्भ करने वाले बौद्ध या जैन धर्म के प्रवर्तकों अथवा आधुनिक युग के दलित चेतना के वाहकों में गैर-दलित वर्ग के लोग अधिक हैं। जैसे-स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी, डॉ० राम मनोहर लोहिया, पेरियार ई०वी० रामास्वामी नायकर आदि। इन विचारकों के प्रमुख विचारों का संक्षिप्त निम्नवत् है—

अन्य पिछड़ी जाति के वर्ग से सम्बद्ध फुले ने दलित वर्ग की स्थिति सुधारने के अनेक प्रयास किए तथा दलितों में आत्म सम्मान की भावना जाग्रत की। दलित महिलाओं की शिक्षा की दिशा में उन्होंने अगस्त 1848 में महाराष्ट्र में एक विद्यालय खोला। उनका कहना था— "मेरे भाईयों में से महार, मांग, चम्भार, कोली, माली जैसी अछूत-शूद्र जातियों के नर-नारी, दुःख, अंधकार अंधविश्वास और प्रवंचना के शिकार हैं। उनकी स्थिति सुधारने के लिए मेरे मित्रों ने सदैव मेरा उत्साह बढ़ाया और साथ दिया उनमें ऊँची जाति के भी मित्र थे।.....इस समय महिला शिक्षा की नितान्त आवश्यकता है, अगर वे शिक्षित बनेंगी, तो उनकी सन्ताने स्वतः शिक्षित?— सुसंस्कृत हो जायेगी।"¹²

फुले ने अछूतों को धर्मान्तरण से रोका। दलितों में साहस लाने व हिन्दू समाज में फैले पुरोहितवाद व अन्धविश्वास को दूर करने के लिए 23 सितम्बर 1873 को 'सत्य शोधक समाज' की स्थापना की। राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित विनोद पाण्डेय के लेख 'मानव धर्म के पुजारी थे ज्योतिबा' के अनुसार— "महात्मा फुले ने मानव धर्म का दूसरा नाम 'सत्य धर्म' रखा तथा 1890 में अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सार्वजनिक सत्य धर्म' का प्रकाश कराया। उनके अनुसार सभी धर्म

¹⁰ यूरलोवा : शिड्यूलड कास्टस इन इण्डिया', पृष्ठ 18

¹¹ बाबा साहेब डॉ० अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय, खण्ड 2, पृष्ठ 28

¹² चचरीक, कन्हैया लाल, 'महात्मा ज्योतिबा फुले (बचपन और शिक्षा, स्त्री-शिक्षा-अभिनव प्रयोग, वैचरिक क्रान्ति का सूत्रपात)

सापेक्षिक होते हैं। पूर्ण सत्य केवल एक परमात्मा है। सार्वजनिक सत्य धर्म की एक मात्र स्वाभाविक और प्राकृतिक धर्म है। यह धर्म लिंग, जाति व वर्ण के आधार पर पक्षपात को असत्य मानता है तथा श्रम की प्रतिष्ठता को असाधारण महत्व देता है। सार्वजनिक सत्य धर्म की मानव धर्म है। यही विश्व धर्म है।¹³

अपनी रचनाओं के माध्यम से भी दिग्भ्रमित जनता का मार्गदर्शन करने कुरीतियों को सामने लाने और वास्तविक कारणों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। उनकी इन रचनाओं में 'गुलामगिरी' ब्राम्हणांचे कसब', शेतक-यात्रा-आसूड, 'कैफियत' प्रमुख है। अनेक संस्थाएँ व व्यक्ति फुले के विचारों व प्रयासों से प्रभावित होकर आगे आए। कन्हैया लाल चचरीक लिखते हैं- "ज्योतिबा के जन जागरण के कार्यकलापों और सतत धार्मिक और सामाजिक रुढ़ियों से संघर्षरत रहने के कारण 19वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध दलितों और शोषितों की मुक्ति के प्रयास का युग कहा गया। कर्मयोगी ज्योतिबा अपने विचारों और रचनात्मक कार्यक्रमों की वजह से पुणे ही क्या पूरे महाराष्ट्र के समाज सेवकों में अग्रणी सुधारक और क्रान्तिदृष्टा विचारक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। निसंदेह भारत के दलित इतिहास का पहला पृष्ठ फुले ने लिखा।"¹⁴

दलित चेतना को मुखरित करने वालों में स्वामी विवेकानन्द का नाम अग्रणी हैं। गांधी जी से महान पुरुष को भी स्वामी जी के विचारों से ही प्रेरणा प्राप्त हुई। स्वामी विवेकानन्द पीड़ित शोषित अभावग्रस्त जनता से मुक्त समाज की कामना करते हैं। ऊँची जातियों को सावधान करते हुए उन्होंने कहा - "अब उच्च जाति वाले नीच जाति वालों को और अधिक समय तक दबा नहीं सकते, चाहे वे इसके लिए कितनी ही कोशिश क्यों न करें। उच्चतर जातियों का कल्याण इसी में है कि वे निम्न जातियों को उनके यथोचित अधिकार प्राप्त करने में सहायता दें।"¹⁵ स्वामी विवेकानन्द का मत था कि निम्न जाति वर्ग में कार्य क्षमता व आत्मविश्वास उच्च वर्ग की अपेक्षा अधिक है जिसके बल पर वे शीघ्र ही प्रगति करेंगे। स्वामी जी भविष्यवाणी करते हैं - 'अन्त में मजदूर या शूद्र का राज्य आएगा। उससे लाभ होगा- भौतिक सुख साधनों का समान रूप से वितरण और हानि होगी (संभवतः) बुद्धिमान लोग अधिकाधिक कम होते जाएंगे। स्वामी विवेकानन्द सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहते थे। उनका मत था सामाजिक न्याय के बिना प्रगति सम्भव नहीं है। उनका कहना था - "साधारण लोग सहस्रों वर्षों से अत्याचार सहते आए हैं बिना कुड़बुड़ाए उन्होंने सब सहा व परिणाम स्वरूप आश्चर्यकारक धैर्य शक्ति प्राप्त कर ली है। उनको तुम केवल आधी रोटी दे दो और देखोगे कि सारे संसार का विस्तार उनकी शक्ति के समावेश के लिए पर्याप्त न होगा।

पेरियार दक्षिण भारत में दलित चेतना के बाहक थे। सम्पन्न एवं उच्चकुलीन ब्राम्हण परिवार में जन्म लेने के पश्चात् भी हिन्दू रूढ़िवादिता कट्टरता व पक्षपात के प्रति उनके मन में बड़ा आक्रोश था। फुले के विपरीत पेरियार ईश्वर विरोधी और नास्तिक थे। इनके साथ ही दलित चेतना के वाहकों में नास्तिकता का प्रभाव बढ़ा। उदाहरण स्वरूप दलित नेता नारायण स्वामी के नारे - 'एक धर्म' एक जाति, एक भगवान' का विरोध उन्हीं के शिष्य अथप्पन ने इस नारे से किया- "मानवता के लिए कोई धर्म, कोई जाति, कोई भगवान नहीं" 1938 में कवि भारती दर्शन की तमिल कविताओं में भी इसी प्रकार के विचार मिलते हैं- "इस पतन के दौर में क्या यह उचित है कि हम वेद और भगवान में विश्वास करें। दक्षिण भारत के पहले कम्युनिष्ट और मछुआरों के नेता सिंगारावेलु के भाषणों में भी इसी तरह का विद्रोह है।" इस प्रकार दक्षिण भारत में पेरियार का तथा उनके नास्तिकवाद का पर्याप्त प्रभाव देखा जा सकता है।

समाजवादी चिन्तन के प्रतिनिधि डॉ० लोहिया ने गांवों-गलियों से उठी दलित चेतना को लोकसभा तक पहुंचाया। 1963 के उपचुनाव में जीत कर जब वे लोकसभा पहुंचे तब उन्होंने

¹³ पाण्डेय, विनोद, 'मानवधर्म के पुजारी थे ज्योतिबा' राष्ट्रीय सहारा, 27 अप्रैल 1997

¹⁴ चचरीक, विनोद, 'मानवधर्म के पुजारी थे ज्योतिबा फुले, 'अध्याय' दलितों के मुक्तिदाता।

¹⁵ विवेकानन्द साहित्य।



दलितों की समस्याओं को सामने रखा। गांधी जी के समान ही उन्होंने ब्राम्हणवाद को तो बुरा माना लेकिन ब्राम्हण विरोध को भी उतना ही बुरा बताया। लोहिया का मत था कि वही पार्टी देश को सुखी बना सकती है जिसमें शूद्र, हरिजन, औरते, और मुसलमान अधिक होंगे।

उत्तर वैदिक काल से प्रारम्भ हुई दलित चेतना व दलित-मुक्ति के प्रयास आज भी थमें नहीं है।